न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 41/2022

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2022/77

अनवान

1. जुमाशाह पुत्र ईशाशाह जाति मुसलमान निवासी गरडाली तहसील सांचौर जिला जालोर।

प्रार्थी............

1. रमजान शाह पुत्र ईशाशाह फौत के वारीसानः–
   अ. सदीक शाह पुत्र रमजान शाह।
   ब. महबूब शाह पुत्र रमजान शाह।
   स. मिश्री शाह पुत्र रमजान शाह।
   द. अमीर शाह पुत्र रमजान शाह।
2. इब्राहिम शाह पुत्र ईशा शाह जातियान मुसलमान निवासीगण गरडाली तहसील सांचौर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर।

अप्रार्थीगण............

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजु :– 02.08.2022

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 अ से 1 द की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पारीक।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश प्रजापत।
4. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 20.02.2026

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या–1 व 2 सगे भाई हैं तथा मुतवफी ईशाशाह के कानूनी वारिस हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की खातेदारी भूमि नवीन खेत खसरा नंबर–379 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नंबर–380 रकबा 3.96 हैक्टर भूमि गांव गरडाली, तहसील–सांचौर में आई हुई हैं। उक्त भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या–1 व 2 के पिता ईशाशाह पुत्र कासमशाह के फौत होने पर उनका नाम खातेदारी से डिलीट करके इनके तीनों पुत्रों का नाम राजस्व रेकर्ड में कायम रखना था लेकिन हल्का पटवारी की लिपीकीय भूल से प्रार्थी जुमाशाह पुत्र ईसाशाह का नाम डिलीट हो गया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या–1 व 2 के पिता ईसाशाह पुत्र कासमशाह का नाम लिपीकीय भूल से रेकर्ड में दर्ज रह गया हैं। उक्त लिपीकीय भूल का सुधार कर रेकर्ड में ईसाशाह पुत्र कासमशाह की जगह पर जुमाशाह पुत्र ईसाशाह किया जाना न्यायसंगत हैं। प्रार्थना पत्र रेकर्ड दुरूस्ती का होने से प्रार्थना पत्र में सुनवाई करने का माननीय अदालत को क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय अदालत से निवेदन हैं कि गांव–गरडाली, तहसील–सांचौर के नवीन खसरा नंबर–379, 380 में ईसा पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

कासमशाह की जगह जुमाशाह पुत्र ईसाशाह रेकर्ड में दुरूस्त करने का आदेश भूमिधारी तहसीलदारजी–सांचौर को देने की कृपा करावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय मे जवाब हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1अ से 1द की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र पारीक एवं अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिक्ता श्री रमेश प्रजापत उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

3. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को बहस में दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 सगे भाई तथा स्वर्गीय ईशाशाह के कानूनी वारिस हैं। इनकी खातेदारी भूमि ग्राम गरडाली, तहसील सांचौर में नवीन खसरा नं. 379 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 380 रकबा 3.96 हैक्टेयर स्थित है। पिता ईशाशाह पुत्र कासमशाह के निधन उपरांत राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम हटाकर तीनों पुत्रों के नाम दर्ज किए जाने थे, किंतु हल्का पटवारी की लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थी जुमाशाह पुत्र ईशाशाह का नाम हट गया और स्वर्गीय ईशाशाह का नाम यथावत दर्ज रह गया। अतः उक्त लिपिकीय त्रुटि सुधारते हुए खसरा नं. 379 व 380 में ईशाशाह पुत्र कासमशाह के स्थान पर जुमाशाह पुत्र ईशाशाह का नाम दर्ज करने का आदेश भूमिधारी तहसीलदार, सांचौर को प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

4. हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात, द्वितीय भू प्रबंध नामान्तरकरण, मिलान क्षैत्रफल के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज था, परन्तु जमाबंदी संवंत् 1993–2013 में सहवन से प्रार्थी जुमाशाह वल्द ईशाशाह की बजाय ईशाशाह पुत्र कासम शाह दर्ज हो गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि मौजा गरडाली के नवीन खसरा संख्या 379, 380 में ईशाशाह पुत्र कासमशाह की बजाय जुमाशाह पुत्र ईशाशाह नाम की राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। पालनार्थ तहसीलदार सांचौर को तहरीर जारी हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक **20.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)